[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION — 69

New Delhi, the 22 October, 2018

S.O.......(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'West Bengal Unorganised Sector Workers Welfare Board', Kolkata, a board constituted by the Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to that board, namely:-

(a) Grant-in-Aid received from Government;
(b) Registration fee and Monthly/yearly Subscription collected from the registered workers; and
(c) Interest earned on (a) and (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that West Bengal Unorganised Sector Workers Welfare Board, Kolkata,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2018-2019 and shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-23.

[Notification No. 69 /2018, F.No.300196/38/2018-ITA-I]

V.S. Gautam
(Vinay Sheel Gautam)
Under Secretary to the Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u> - 69

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर, 2018

का. आ... (अ) -आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित बोर्ड, पश्चिम बंगाल असंगठित क्षेत्र वर्कर कल्याण बोर्ड, कोलकाता, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतदद्वारा अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;
(ख) पंजीकृत वर्करों से एकत्रित पंजीकरण फीस और मासिक/वार्षिक अंशदान;
(ग) उपर्युक्त(क) और(ख) से अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'पश्चिम बंगाल असंगठित क्षेत्र वर्कर कल्याण बोर्ड, कोलकाता-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के संबंध में लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 69 /2018 फा. सं. 300196/38/2018-आईटीए-I)

विनय शील गौतम

(विनय शील गौतम)
अवर सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी प्रेस, नई दिल्ली